

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 फरवरी 2014—फाल्गुन 3, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ-24-14-2013-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1962 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 15 दिसम्बर, 2013 में प्रकाशित विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2013 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 3 में, शब्द “दो मास” के स्थान पर, शब्द “छः मास” स्थापित किये जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ-24-14-2013-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd February 2014

No. F-24-14-2013-One-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Enquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification even No. Dated 15th December 2013, regarding appointment of The One Man Commission, of Enquiry of Justice Shri Rakesh Saxena namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in para 3, for the words “Two Months” the words “Six Months” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KAUL, Dy. Secy.